न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–48 / 2024

उनवान

1. उदयलाल पुत्र श्री राजू गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. सुखदेव पुत्र श्री राजू गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

.... वादीगण

बनाम

1. अम्बा लाल पुत्र श्री गीठू लाल गुर्जर नि0 कानपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. जेतु पुत्री श्री सूरजमल गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
3. जोधराज पुत्र श्री सूरजमल गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
4. नारायण लाल पुत्र श्री सूरजमल गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
5. नारायणी पत्नी श्री सूरजमल गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
6. भंवरी पुत्री श्री सूरजमल गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत् कब्जा दिलाये जाने हेतु</u>

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री सुरेश चन्द्र अहीर उप0
प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 – अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

दिनांक 16–04–2026

वादीगण की ओर से श्री सुरेशचन्द्र अहीर , एडवोकेट और प्रतिवादी सं. 1 से 06 अनु0 राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 16–04–2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

वाद–पत्र डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर ग्राम कानपुरा पटवार हल्का दुडिया भू–अभिलेख

निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 464/2 रकबा 0.0379है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 का 8.80 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् वेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है ।

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 से 06 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 16.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–48/2024

उनवान

1. उदयलाल पुत्र श्री राजू गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. सुखदेव पुत्र श्री राजू गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

.... वादीगण

बनाम

1. अम्बा लाल पुत्र श्री मीठू लाल गुर्जर नि0 कानपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. जेतु पुत्री श्री सूरजमल गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
3. जोधराज पुत्र श्री सूरजमल गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
4. नारायण लाल पुत्र श्री सूरजमल गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
5. नारायणी पत्नी श्री सूरजमल गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
6. भंवरी पुत्री श्री सूरजमल गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री सुरेश चन्द्र अहीर उप0
प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 – अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.04.2026

सक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह है कि रारहद कानपुरा पटवार हल्का दूडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 03 मे आराजी नम्बर 464/2 रकवा 0.0379 हैक्टयर भूगि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। यह है कि वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 23/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 16 मई 2023 दो हजार तैबीस को हुआ, उक्त आदेश की पालना में दिनांक 03 जून 2023 दो हजार तैबीस को पत्थरगढ़ी कर

मौका पर्चा बनाया गया, गाह मई 2024 दो हजार चौबीस मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 द्वारा आराजी नम्बर 464/2 के दक्षिण दिशा में 8.80 वर्गमीटर पर अवैध कब्जा कर लेने से अवैध कब्जा पाया गया, जो मौका पर्चा मे वर्णित है। वादीगण की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का कोई हक अधिकार नही है। यह है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित वादीगण की आराजी पर प्रतिदावी संख्या 01 लगायत 08 द्वारा आराजी नम्बर 464/2 के दक्षिण दिशा में 8.80 वर्गमीटर भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 08 ने कोई ध्यान नहीं दिया व अन्तिम बार वादीगण ने दिनांक 05 अगस्त 2024 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा चादीगण को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आगादा हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 ने वादीगण को धमकी दी कि वादीगण की मर्जी आये जो कर लेना, प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीगण प्रतिवादीगण का कुछ नहीं बिगाड सकता है। इस कारण से वादीगण को यह चादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि वादीगण की सरहद कानपुरा पटवार हल्का दूडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 464/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर भूमि में से 8.80 वर्गमीटर भूगि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक माह मई 2023 दो हजार तैबीस को कब्जा कर लेने व दिनांक 03 तीन जून 2023 दो हज़ार तैबीस एवं दिनांक 05 पांच अगस्त 2024 दो हजार चौबीस को कब्जा छोडने से इंकार कर देने से से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है। कि वादीरण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 के विरुद्ध इरा आशय की कब्जेयायी की डिकी सादिर फरमाथी जाना आवश्यक है कि यादीगण की सरहद कानपुरा पटधार हल्का दूडिया भू अभिलेख निरीक्षक बक्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) गे आराजी नम्बर 464/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर भूमि में से 8.80 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे।

(ब) कि प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 द्वारा वादीगण की भूमि पर उसके द्वारा कब्जा करने की दिनांक से पुनः वादीगण को कब्जा सिपुर्द होने की दिनांक तक का हर्जाना प्रतिमाह 5,000/– रूपये के हिसाब से वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 से दिलाया जावे।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तलबी करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 07, 08 फौत हो गया है जिसकी पालना में वादी वकील द्वारा दिनांक 19.08.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व 09 धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया तथा संशोधित अनवान प्रस्तुत किया। पत्रावली में संशोधित अनवान की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादीगण संख्या 01– उदयलाल पुत्र श्री राजू गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) एवं वादीगण संख्या 02– सुखदेव पुत्र श्री राजू गुर्जर नि0 दोलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) के शपथपत्र प्रस्तुत किये और दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2073–2076 की प्रति, पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 23/2023 पारित आदेश दिनांकित 16–05–2023 की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 03.06.2023 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जावे। मैने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत् 2073–2076 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 से 06 ने वादीगण की ग्राम कानपुरा पटवार हल्का दुडिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 464/2 रकबा 0.0379है० पर प्रतिवादी संख्या 01 का 8.80 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बावत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है ।

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 से 06 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 16.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, हमीरगढ़
जिला भीलवाड़ा(राज.)